



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 वर्ष 1995 द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) की धारा 2(f) के अन्तर्गत सूचीबद्ध

क्रमांक:

दिनांक:

कार्यवृत्त (Minutes)

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक दिनांक 04/11/2023 दिन शनिवार को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय ब्रम्हस्थान करौंदी, पोस्ट- महनेर, जिला कटनी (म.प्र.) में संपन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1.	प्रो. भुवनेश शर्मा	—	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. प्रलय कुमार नंदा	—		सदस्य
3.	श्रीमती नमिता पाठक	—		निदेशक (IQAC)
4.	श्री अरविंद सिंह राजपूत	—		सदस्य
5.	डॉ. अशोक सिंह चौहान	—		सदस्य
6.	डॉ. श्रीपाल चौहान	—		सदस्य
7.	डॉ. राजेश तिवारी	—		सदस्य
8.	डॉ. वासुदेव ऐताल	—		सदस्य
9.	डॉ. नित्यश्वर चतुर्वेदी	—		सदस्य
10.	श्री सीमांत शर्मा	—		सदस्य
11.	श्री सूरज पाण्डेय	—		समन्वयक

बैठक की कार्यवाही के प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही पर बिंदुवार विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

पद क्र. 01 — आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 19/07/2023 के कार्यवृत्त का संपुष्टीकरण।

निर्णय — संपुष्टि की गई।

पद क्र. 02 — आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) के समन्वयक का कार्यभार शिक्षा विभाग के सहा. प्राध्यापक श्री सूरज पाण्डेय को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय — सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(1)

मुख्यालय:- करौंदी, पोस्ट-महनेर, जिला-कटनी:- (मध्य प्रदेश)-483332 • फोन:- 7974899958, 9752042827

प्रशासनिक कार्यालय:- लमती, विजय नगर, जबलपुर :- (मध्य प्रदेश)-482002 • फोन:- 0761-2637213, 2637216, 2637217

E-mail :- mmvvrregistrar@gmail.com • Website :- www.mmyvv.com, mmyvvdde.com, • फैक्स:- 0761-4071151



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 वर्ष 1995 द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) की धारा 2(f) के अन्तर्गत सूचीबद्ध

क्रमांक:

दिनांक:

- पद क्र. 03 – विश्वविद्यालय के Self Study Report (SSR) तैयार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।
- निर्णय – समस्त विभागाध्यक्षों के समन्वय से Self Study Report (SSR) तैयार किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- पद क्र. 04 – विश्वविद्यालय में नवाचारी पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।
- निर्णय – पाठ्यक्रमों के पूर्ण विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- पद क्र. 05 – विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों में विस्तार किये जाने का उत्तरदायित्व शोध सहायता प्रकोष्ठ को प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।
- निर्णय – सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- पद क्र.06 – वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रवेश लेने वालों छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण एक बस और उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर विचार।
- निर्णय – प्रस्ताव तैयार कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 वर्ष 1995 द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) की धारा 2(f) के अन्तर्गत सूचीबद्ध

क्रमांक:

दिनांक:

पद क्र. 07 — आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) के तत्वावधान में कार्यशाला, संगोष्ठी एवं विभिन्न प्रति-योगिताओं का आयोजन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय — सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

पद क्र. 08 — विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता के सुनिश्चयन हेतु विभिन्न समितियों के गठन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय — विभिन्न समितियों के विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

“धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।”


अध्यक्ष


समन्वयक